

18/11/25

का पत्रांक 671 दिनांक 15/11/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बलवीर पुत्र शर्मा के स्थान पर शेर सिंह पुत्र शर्मा दर्ज हो गया है। जो कि गलत है अतः इसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। हमने बहस पर भ्रम किया व पत्रांक पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया व तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नफरत

बलवीर

513/0. 20
61/0. 30

00
455 मि.
00
455 मि.
00
53

। बीघा 4 बिस्वा

द्वारा श्री जर्गी का नाम आरक्ष रिपोर्ट में
शेरसिंह पुत्र रत्ना के स्थान पर बलवीर पुत्र
रत्ना जगति आरव पि० रत्नेदी किसे जेजे
की अभिधावा की गई।

अतः जर्गी का जो पत्र स्वीकार किया
जाकर जर्गी का नाम जमाबंदी के रत्ना संख्या
६१ में शेरसिंह पुत्र रत्ना पि० ११८ जगति आरव
जिवासी रत्नेदी के स्थान पर बलवीर पुत्र रत्ना
जगति आरव जिवासी रत्नेदी किया जाता है। अनाजुसा.
आरख रिपोर्ट में उक्ति करने की अनुमति
प्रदान की जाती है।

पंजावली कैसल शुमार दीकर नंबर
के काम की जाकर दारिखल दफ्तर हो।